# जबरन बंद कराने वालों से सख्ती से निपटेगा जिला प्रशासन व पुलिस बल

नवभारत न्यूज

**ग्वालियर 20 अगस्त.** कुछ संगठनों द्वारा बुधवार 21 अगस्त को भारत बंद कराने के आह्वान को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन व पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारियाँ की हैं। जबरन दुकानें, प्रतिष्ठान व बाजार बंद कराने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। साथ ही स्पष्ट किया है कि किसी भी संगठन के व्यक्ति इस आंदोलन के दौरान लाठी या कोई अस्त्र-शस्त्र व ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चल सकेंगे। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान एवं पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह ने मंगलवार को जिले के सभी एसडीएम, सीएसपी व एसडीओपी की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही कहा कि राजस्व व पुलिस अधिकारी पूरी सतर्कता व मुस्तैदी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि बुधवार 21 अगस्त को कलेक्ट्रेट, फूलबाग चौराहा, झलकारी बाई पार्क व गोल पहाड़िया सहित ग्वालियर शहर के सभी तिराहों-चौराहों, बाजारों व सड़क मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। गड़बड़ी फैलाने की जुर्रत करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ग्वालियर शहर के अलावा डबरा, भितरवार, पिछोर, घाटीगाँव, मोहना व मुरार ग्रामीण सहित जिले के सभी इलाकों में प्रशासन व पुलिस बल मुस्तैदी के साथ तैनात रहेगा।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने साफ किया कि जिले के ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में बंद के आह्वान से जुड़े किसी भी संगठन के व्यक्तियों के मूवमेंट के दौरान एहतियात बतौर पुलिस भी साथ में चलेगी। साथ ही हर गतिविधि की बारीकी से वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी कराई जायेगी।

बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी एसडीएम व यह भी निर्देश दिए कि बंद का आह्वान करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों से सतत संवाद रखें। उन्हें स्पष्ट रूप से बता दें कि बंद के दौरान संगठन का कोई भी व्यक्ति यदि कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता है तो इसके लिये वे जवाबदेह होंगे।

अधिकारी द्वय ने कहा कि सभी संबंधित संगठनों से वॉलेन्टियर की सूची भी प्राप्त करें। ये वॉलेन्टियर शांतिपूर्ण आयोजन व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये जिम्मेदार होंगे। बैठक में यह भी साफ किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक व आपत्तिजनक भड़काऊ संदेश या ऑडियो-वीडियो अपलोड करने व फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार, एडीएम श्री टी एन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सियाज केएम व श्री गजेन्द्र वर्धमान, जिले के सभी एसडीएम, सीएसपी व एसडीओपी मौजूद थे। डबरा, भितरवार, घाटीगाँव व मुरार ग्रामीण के एसडीएम व एसडीओपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।

### बंद को देखते हुये रैली, धरने, जुलूस पर रोक, कलेक्टर के आदेश

ग्वालियर। अनुसूचित जाति वर्ग एवं संगठनों द्वारा आरक्षण को लेकर कोटा में कोटा निर्धारित करने के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद के आव्हान के तहत जिला कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने ग्वालियर जिले की राजस्व सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये है। कलेक्टर द्वारा जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत रैली, धरना, जुलूस, अस्त्र शस्त्र धारण, प्रदर्शन, धारदार हथियार, भाला, तलवार, आतिशबाजी का प्रयोग, ध्वनि वाधक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया है। इसके तहत सोशल मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक, व्हाटसएप, इंस्टाग्राम, टिवटर पर भी भडकाउ पोस्ट आदि पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने सभी लोगों से किसी भी स्तर पर आदेश के उल्लंघन पर सूचना देने का आग्रह किया है। यह भारत बंद का आव्हान बसपा, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, ओवीसी महासभा एवं अन्य के द्वारा किया गया है जिसके तहत जिले में रैली, जुलूस एवं ज्ञापन दिये जाने की योजना है।

# आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने किया आज भारत बंद का ऐलान

नवभारत न्यूज

**ग्वालियर 20 अगस्त.** एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने कल 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का समर्थन कई दलित संगठनों ने भी किया है। इसके अलावा बसपा ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। किसी भी तनाव से बचने के लिए पुलिस को तैनाती बढ़ाने के लिए कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार कों एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस फैसले पर व्यापक बहस छिड़ गई है। भारत बंद का ऐलान करने वाले संगठन इसे फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बंद के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने सभी संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए जरुरी दिशा-निर्देश जारी किया है। भारत बंद के दौरान क्या खुलेगा रहेगा और क्या बंद रहेगा इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि ऐसी आशंका है कि भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर असर पड़ सकता है।


**M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.**
O/o the Dy. General Manager, City Div. East Gwalior, Roshanighar Campus, Gwalior (M.P)
E-mail : dgmeast07@gmail.com
NIT No. DGM/EAST/GWL/2024-25/3766 — Gwalior, Dated : 20.08.2024

**NOTICE INVITING E-TENDER (OPEN TENDER)**

MPMKVVCL hereby invites E-Tender for hiring the below mentioned type of vehicles in the following locations :-

| Name of Unit/Office | Particulars | Monthly Ceiling Charge (Rs.) | Tender Fee (Rs.) | EMD (Rs.) | Date of Opening of Bids Online |
|---|---|---|---|---|---|
| Office of The DD Nagar Zone Under Dgm (City East Div.), MPMKVVCL Gwalior (M.P.) | Hiring of Vehicle Type D, Mini Truck (3 Metric Ton) Single Shift Year-2024 | 41590+GST | 500/- + GST @ 18% Extra | 2500/- | 04.09.2024 15:00 hrs. |

Relevant details are full tender would be available on our company website **https://portal.mpcz.in & https://mptenders.gov.in** very shortly.
M.P. Madhyam/115998/2024 — DY. GENERAL MANAGER, CITY DIV.

# मुस्लिम समुदाय ने एसपी ऑफिस घेरा, सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

**ग्वालियर 20 अगस्त.** हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक में सिन्नर स्थित पंचाले गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रवचन के दौरान महंत रामगिरी महाराज की टिप्पणी को मुस्लिम समाज ने भड़काऊ माना है। विरोध जताते हुए ग्वालियर के मुस्लिम समाज के लोगों में खासा आक्रोश है। मंगलवार को मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में जीवाजी विश्वविद्यालय गेट पर एकत्रित हुए, यहां से एक रैली के रूप में मुस्लिम समुदाय के सदस्य सिटी सेंटर स्थित एसपी ऑफिस पहुंचे और यहां घेराव कर अपनी मांग रखी।

रैली का नेतृत्व मरहूम शहर काजी अब्दुल हमीद कादरी के बेटे समद कादरी कर रहे थे। रैली के दौरान मुस्लिम समाज के लोग महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुस्लिम समाज की रैली ने एसपी

**नासिक में दिए विवादित बयान के मामले ने अब तूल पकड़ा**

ऑफिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और नासिक पुलिस कमिश्नर के नाम एडिशनल एसपी सियाज के. एम के माध्यम से ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। रैली में लोग स्लोगन की तख्तियां लेकर चल रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि महंत रामगिरी महाराज के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष अशरफ खान के अनुसार मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि अगर महंत रामगिरी पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं।

### पुलिस का कहना

एडिशनल एसपी सियाज केएम ने ज्ञापन लेने के बाद प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनके द्वारा सौंपा गया ज्ञापन नासिक पुलिस कमिश्नर को भेजा जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे।


**M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.**
(Govt. of M.P. undertaking)
Office of The General Manager (O&M) Circle, Sheopur
Phone No. : 07530-220398, FAX No. : 220398, E-mail : sesheopur@gmail.com
GM/Sheo/Pur/Sheo/2024-25/1743 — Dated : 16.08.2024

**NOTICE INVITING E-TENDERS**

E-tender is invited from eligible bidders for the following electrical works on semi turnkey contract basis under SSTD scheme under MPMKVVCL Sheopur Circle.

| Name of Work | Approx. Value (In lakh) | Tender Fees (INR) | Online Bid Submission last date | Date of opening of tender |
|---|---|---|---|---|
| Survey Supply and Installation of minor Material and Replacement of Defective Isolator, AB Switch Male/Female contact of AB switch Along with Augmentation of Bus Bar Conductor at various 33/11 KV substation. | 26.53 | 5000/- +18% GST=5900 | 02.09.2024 up to 15:00 Hrs. | 03.09.2024 at 15:00 Hrs. |

Other details, terms and conditions are available on company website: **https://portal.mpcz.in** & **https://mptenders.gov.in** or the under signed office.
M.P. Madhyam/116004/2024 — GENERAL MANAGER (O&M)


# निगमायुक्त वैष्णव ने सुनी आमजन की समस्याएं

नवभारत न्यूज

**ग्वालियर 20 अगस्त.** जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक आवेदक को सुनकर उनका नियमानुसार समय सीमा में निराकरण करायें। उक्ताशय के निर्देश नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव ने आज जनसुनवाई के दौरान आम नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर अपर आयुक्त मुनीश सिंह सिकरवार, उपायुक्त डॉ प्रदीप श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सिटी सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में वार्ड 57 बीजासेन मोहल्ला नाका चन्द्रबदनी के निवासी गणों ने आवेदन देते हुए बताया कि बीजासेन मोहल्ला नाका चन्द्रबदनी में स्थित जर्जर भवन को गिराकर अप्रिय घटना से बचाने के संबंध में, वार्ड 2 झाड़ू वाला मोहल्ला घोसीपुरा निवासी श्री जावेद खान ने आवेदन देते हुए अवगत कराया कि क्षेत्र में अमृत योजना के तहत डाली गई सीवर लाइन की सफाई न होने के कारण क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या बनी हुई है, आवेदक ने सीवर सफाई कराने के संबंध में, वार्ड 45 शहीद

हरी सिंह की गली भगवती शोरूम के पास जिंसी नाला नम्बर-2 निवासी श्री सुरेश बाबू शर्मा ने आवेदन देते हुए बताया कि श्रीमती लीलादेवी ने सरकारी गली में अवैध छज्जे का निर्माण कर लिया जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। आवेदिका ने अवैध छज्जे को हटाये जाने के संबंध में अपना आवेदन नगर निगम आयुक्त श्री वैष्णव को दिया। निगमायुक्त ने सुनवाई करते हुए कुछ समस्याओ का निराकरण त्वरित करते हुए बांकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही जनसुनवाई में पेयजल, अतिक्रमण, सफाई, विद्युत, आवास, सीवर सफाई आदि से संबंधित 27 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश निगमायुक्त ने दिए।

### नगर निगम की जनसुनवाई में लोग हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे

ग्वालियर। नगर निगम की जनसुनवाई में मंगलवार को करीब 50 लोग हाथों में तख्तियां लेकर पहुंच गए। उनका कहना था कि कुछ समय पूर्व सीवर चेंबर में गिरने से अफरीदी खान की मौत हो गई थी। मृतक के परिजन ने न्याय की मांग करते हुए कुछ निगम अधिकारियों के नाम भी एफआईआर में जोडने की मांग के साथ मदद की गुहार भी लगाई। इस मामले में निगम कमिश्नर का कहना था कि पूरा मामला सुन लिया गया है।

### आरक्षक पर युवती ने लगाया शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप

**ग्वालियर 20 अगस्त.** जिले में पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक पर एक युवती द्वारा नौकरी और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोप का मामला सामने आया है। युवती ने पुलिस आरक्षक के विरुद्ध शिकायत की है जिस पर पुलिस ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्वालियर की पुलिस जनसुनवाई में माधोगंज थाना निवासी युवती ने पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक की शिकायत की है। युवती ने कहा कि ग्वालियर के कम्पू इलाके का रहने वाला राजवीर जाटव शहडोल में पुलिस विभाग में पदस्थ है। उससे मेरी दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। राजवीर ने कहा था कि मेरी कई जगह जान-पहचान है, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। राजवीर उसे कई बार दस्तावेजों के बहाने से बुलाता था।

युवती ने बताया कि एक दिन जन्मदिन की कहकर अपने साथ एक होटल में ले गया। वहां होटल में आरक्षक ने युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया जिससे वह बेसुध हो गई। इसके बाद उसने युवती के साथ गलत काम किया और अश्लील फोटो वीडियो भी बना लिए।


**M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.**
(Government of M.P. Undertaking)
Office of Dy. General Manager (STC) City Division, City Center, Gwalior-474011
E-mail : eestcgwalior@gmail.com
No. DGM/STC/city/24-25/1282 — Gwalior, Date : 16.08.2024

**NOTICE INVITING E-TENDERS**

Online E-tender are invited from eligible electrical contractors who are registered under A4 and above category through "QC" portal of MPMKVVCL Bhopal for following electrical works.

| Short Description | Approx. Value (In Lakh) | Date of Sale of Tender | Due Date for Submission of Tender | Cost of Tender Form | Due date & Opening of Tender |
|---|---|---|---|---|---|
| Survey, Supply and Installation of minor material and replacement of defective Isolator, AB switch & Male/Female contact of AB switch along with Augmentation of Bus Bar Conductor at various 33/11 KV Substations on semi turnkey contract basis under SSTD Scheme in MPMKVVCL Gwalior. | 21.09 | 17.08.2024 10:30 Hrs. Up to 09.09.2024 14:00 Hrs. | 09.09.2024 up to 14:00 Hrs. | 2360/- | 10.09.2024 At 15.00 Hrs. |

Other details, terms and conditions are available on company website: **https://portal.mpcz.in** & **https://mptenders.gov.in** or the under signed office.
M.P. Madhyam/116005/2024 — DGM (STC-CITY)



**मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड**
कार्यालय महाप्रबंधक (संचा./संधा.) वृत्त दतिया
फोन नम्बर : 07522-233801, ई-मेल: gmdatia.mpcz@mp.gov.in

**NOTICE INVITING e-TENDER**

E-Tenders are invited from eligible bidders for the following electrical works on semi turnkey contract basis under SSTD Scheme under MPMKVVCL Datia Circle.

| Tender Specification No. | Particulars | Estimated Cost (In lakh) | Tender Document Fees In Rs. (Not Refundable) | EMD (In Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| NIT_ 2024_MKVVC_ 364477_1 | Survey, Supply, and Installation of 'BORE EARTHING' at various 33/11 KV Substations | 58.00 | 5900/- (Including 18% GST) | 1,16,000/- |
| NIT_ 2024_MKVVC_ 364483_1 | Survey, Supply, and Installation of minor material and replacement of defective Isolator, AB switch & Male/Female contact of AB switch along with Augmentation of Bus Bar Conductor at various 33/11 KV Substations | 27.00 | 5900/- (Including 18% GST) | 54,000/- |

Pre-Bid Meeting — 23.08.24 at 16.00 hours
**Online Bid Submission Last Date — 02.09.2024 upto 14.00 hours**
Opening of Bid Online — 03.09.2024 at 15.00 hours

Other details, terms and conditions are available on company website : **https://portal.mpcz.in** & **https://mptenders.gov.in** or the under signed office.
म.प्र. माध्यम/116002/2024 — महाप्रबंधक (संचा/संधा.)


# वरिष्ठ चिकित्सक स्व. डॉ. कमल किशोर की याद में किया चौराहा का नामकरण

नवभारत न्यूज

**ग्वालियर 20 अगस्त.** आज की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरी के पेशे में समाविष्ट हो चली धंधेबाजी के समय स्व. डॉ. कमल किशोर का व्यक्तित्व कृतित्व चिकित्सा जगत के लिए आदर्श हो सकता है। यही वजह है कि उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के लिए स्व. डॉ. कमल किशोर स्मृति आयोजन समिति एवं आरोग्य भारती ग्वालियर के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डॉ. कमल किशोर के नाम पर लक्ष्मीगंज चौराहा का नामकरण किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्यपाल कप्तानसिंह सौलंकी ने

की तथा मुख्य अतिथि आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. अशोक कुमार वार्ष्णेय थे। पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर कार्यक्रम के अतिथि थे।

डॉ. राजेश गजवानी व आरोग्य भारती के डॉ. एस.पी. बत्रा ने बताया कि डॉ. कमल किशोर ग्वालियर चंबल संभाग में सहित दूरदराज के क्षेत्रों में मरीजों के इलाज के लिये विख्यात रहें है। डॉ. कमल किशोर का नाम ग्वालियर चंबल के एक-एक गांव में बड़े श्रद्धा और अदब के साथ लिया जाता है। जानकारी के मुताबिक जब वे जीवित थे तब छोटी लाइन रेल श्योपुर से घोसीपुरा रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले बड़ी संख्या में तांगा में बैठकर डॉ. कमल किशोर के अस्पताल में आया करते थे। यहां पर इलाज के लिए आने वाले मरीजों को रूकने की पूरी व्यवस्था भी निःशुल्क मिलती थी। ऐसे गरीब मरीज प्रतिदिन बड़ी संख्या में आते थे जिनके पास फीस चुकाने के पैसे नही होते थे लेकिन डॉ. कमल किशोर ऐसे सभी मरीजों को निःशुल्क इलाज किया करते थे। डॉ. कमल अपने उदार हृदय आत्मीय व्यवहार से लोगों के दिलों राज किया करते थे। उनकी दिलों पर छाप आज भी बदस्तूर कायम है।


**JANA SMALL FINANCE BANK**
(A scheduled commercial bank)
रजिस्टर्ड ऑफिस: द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 व 12/2-बी, ऑफिस दोमलुर, कोरामंडला इनर रिंग रोड, नेक्सट टू ईजीएल बिजनेस पार्क, छलाघट्टा, बैंगलोर- 560071, ब्रांच ऑफिस- प्लाट नं. 131/01, ग्राउंड फ्लोर, एम.पी. नगर, जोन-2, भोपाल (म.प्र.)-462011

**ई-नीलामी सूचना**

**वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के प्रवर्तन के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, प्रावधान नियम 8 (6) और 9 के प्रावधान के साथ पढ़ें**

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है. ऋणी को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए खाते में गिरवी संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) जैसा है जहां है और जैसा है जैसा है पर आयोजित किया जाएगा निर्धारित तिथि पर यहां के तहत.

| क्र. | लोन एकाउंट नं. | मूल देनदार/सह देनदार/ गारंटर का नाम | 13-2 नोटिस तिथि | कब्जा तिथि | वर्तमान बकाया | संपत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय | आरक्षित मूल्य | बयाना राशि ईएमडी रु. में | ई-नीलामी तिथि व समय | बिड जमा की अंतिम तिथि, समय व स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45519420002011 और 45519420003152 | 1. श्री हरीश कुमार आत्मज अमर सिंह 2. श्रीमती रानी पत्नी अमर सिंह | 26-2-2024 | 24-5-2024 | रु. 18,75,798.30 (रु. अट्ठारह लाख पिचहत्तर हजार सात सौ अन्ठानवे व पैसा तीस) मात्र 7-8-2024 को | 24-8-2024 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक | रु. 14,00,000/- (रु. चौदह लाख मात्र) | रु. 1,40,000/- (रु. एक लाख चालीस हजार मात्र) | 10-9-2024 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक | 9-9-2024 को 05.00 बजे से पहले जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमि. प्लाट नं. 131/01 ग्राउंड फ्लोर एमपी नगर जोन-2 भोपाल म.प्र.-462011 |

**संपत्ति विवरण/अनुसूची**- भूमि सर्वेक्षण संख्या 325/16 मिन का हिस्सा, कुल 900 वर्ग फीट (83.72 वर्ग मीटर) का भूमि का वह टुकड़ा, जो अयोध्या कॉलोनी, ग्राम दत्रा में स्थित है. पीएच संख्या 56, वार्ड संख्या 2, तहसील डबरा और जिला ग्वालियर (म.प्र.), पूर्व में- 10 फीट रोड, पश्चिम में- जगत सिंह टीचर का प्लॉट, उत्तर में- साहू की संपत्ति और दक्षिण में- 20 फीट रोड.

संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' आयोजित किया जा रहा है और ई-नीलामी 'ऑनलाइन' आयोजित की जाएगी. उपरोक्त संपत्ति की खरीद से संबंधित सभी भुगतान किसके पक्ष में किए जाएंगे जना लघु वित्त बैंक. नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स के माध्यम से आयोजित की जाएगी. 4 वेब पोर्टल https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com पर बंद होना. अधिक जानकारी के लिए और ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता एम/एस से संपर्क कर सकते हैं. 4 समापन; श्री अरिजीत कुमार दास से संपर्क करें, संपर्क नंबर- 8142000725. ईमेल आईडी- info@bankauctions.in / arigit@bankauctions.in. ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जन लघु वित्त बैंक के अधिकारी श्री अजय नाइक से संपर्क करें (मो.नं.9960948687) एवं श्री महेंद्र ब्रम्हणे (मो.नं.9029290202). प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है. हालांकि इच्छुक बोली- बोली लगाने वालों को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए. कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी. यह उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं के लिए भी एक सूचना है. गिरवी संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में गारंटर/बंधककर्ता/उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को अद्यतन ब्याज और सहायक राशि के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है. नीलामी की तारीख से पहले के खर्च, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

दिनांक- 21-8-2024, स्थान- ग्वालियर — ह./- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड


स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिये मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा सिटी सेंटर, ग्वालियर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., सिटी सेंटर से मुद्रित. संपादक हरीश दुबे* फोन-0751-4086200, फैक्स- 2343200 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार डाक पंजीयन क्रमांक 507/2008/ग्वा. RNI Reg. No. 62237/95